सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भगरुप या इस बारे सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पंहुच होगी।

(मैनुअल–8)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
E-mail : infodg.uk@gmail.com दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांक : 199 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रेस)–08 / 2008 देहरादूनः दिनांक 26 अगस्त, 2023

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन (सूचना अनुभाग–2) के शासनादेश संख्या 163/XXII(2)/2015-53 (सूचना) 2002 दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या 276/XXII/16-53 (सूचना) 2002 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पत्रकार कल्याण कोष / मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के संचालन हेतु निर्धारित समिति के कालम–3 में उल्लिखित पत्रकार संगठनों के सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा नामित किया जाता है :–

क्र.सं.	पत्रकार संगठन का नाम	प्रतिनिधि का नाम
01	देवभूमि पत्रकार यूनियन, देहरादून	डॉ. वी.डी.शर्मा
02	नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) हल्द्वानी नैनीतालं	श्री दिनेश जोशी
03	एसोसिएशन ऑफ स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया	श्रीमती निशा रस्तोगी
04	इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एन मीडियामैन	श्री दीन दयाल मित्तल

उक्त गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 02 वर्ष का होगा।

बैठक के दौरान उक्त सदस्यों को समूह "ख" के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य यात्रा एवं दैनिक भत्ते देय होंगे। समिति के सदस्यों का कार्यक्षेत्र एवं अन्य सम्बन्धित शर्तें नियमावली के अधीन होंगी।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

ह0/
(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

O/C

संख्या : 199 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रेस)–08 / 2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित सदस्यों को।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. लेखा प्रभाग, सूचना विभाग।
6. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।

ह0/
(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक

O/C